5.3.25

पत्रावली पेश हुई। अकुमाय उपस्थित।
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, प्रार्थना-पत्र के साथ
प्रस्तुत दस्तावेज तथा तहसीलदार गढ़ी
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
में निर्णय पृथक से जारी किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN
SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 01/2025

उनवान

1. जीना पत्नि सतीश चन्द्र पाटीदार निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मीरा देवी पत्नि रतनलाल पाटीदार निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 4/3/2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 647 के खसरा संख्या 3794 रकबा 0.09 हैक्टर एवं खसरा संख्या 3795/15579 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि ग्राम बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। ग्राम बोरी के पुराने नक्शे में खसरा संख्या 4678 रकबा पन्द्रह बिस्वा व खसरा संख्या 4677 रकबा सोहल बिस्वा, क्रमशः एक दुसरे के पडोस में अवस्थित है। खसरा संख्या 4678 के पश्चिम दिशा में व 4677 के पूर्व दिशा में अवस्थित है। खसरा संख्या 4678 से, नये खसरा 3794 व 15579 कुल दो खसरे बने तथा खसरा संख्या 4677 से नया खसरा 3795 बना है। नये सेटलमेन्ट में नक्शा बनाते समय खसरा संख्या 3794, 15579 व 3795 पश्चिम—पर्व में न होकर दक्षिण—उत्तर में बना दिये गए है। वर्तमान में मौके पर भी पूर्व सेटलमेन्ट की भाती ही कब्जा काश्त किया जा रहा है। मौके पर मेड उत्तर—दक्षिण मौजूद रहने बावजूद सिर्फ पूर्व—पश्चिम की मेड नक्शे में बना दी गई है। उक्त त्रुटी को दुरस्त किया जाकर पुराने सेटलमेन्ट के नक्शे एवं वर्तमान कब्जा काश्त के आधार पर नक्शा शुद्धि बाबत् प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम तहत् पेश हुआ।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीया के नाम सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थीया का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् अप्रार्थीया जवाब पेश हुआ। अप्रार्थीया द्वारा अपने जवाब में सेटलमेंट पूर्व की स्थिति कायम की जाती है तो उसे आपत्ति नहीं होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार गढ़ी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की खसरा नंबर 3794, 3795/15579 किस्म क्रमशः भू.गो.प्रथम, भू.गो. प्रथम रकबा 0.09, 0.04 हैक्टर वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 647 में खातेदार जीना देवी पत्नी सतीशचन्द्र पाटीदार के नाम तथा खसरा नंबर 3795 किस्म भू. गो.

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

प्रथम रकबा 0.13 हैक्टर वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 1311 में खातेदार मीरा पत्नी रतनलाल के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट पूर्व खसरा नंबर 4678 रकबा 15 बिस्वा से नया खसरा नंबर 3794 रकबा 0.09 हैक्टर एवं 3795/15579 रकबा 0.04 हैक्टर तथा सेटलमेंट पूर्व खसरा नंबर 4677 रकबा 16 बिस्वा से नया खसरा नंबर 3795 रकबा 0.13 हैक्टर बना है। मौका पर्चा में मोतबिरानो द्वारा बताये अनुसार वर्तमान में मौके पर सर्वे नंबर 3795 में उत्तर से दक्षिण मेड होकर बने दो खेतो में पश्चिमी भाग पर दलजी पुत्र वेलजी पाटीदार का कब्जा काश्त है तथा पूर्वी भाग पर मीरा पत्नी रतनलाल पाटीदार का कब्जा काश्त है इसी प्रकार सर्वे नंबर 3794 एवं 3795/15579 में उत्तर से दक्षिण मेड होकर बने दो खेतो में पश्चिमी भाग पर भेमजी पुत्र वेलजी पाटीदार का कब्जा काश्त है तथा पूर्वी भाग पर मीरा पत्नी रतनलाल पाटीदार का कब्जा काश्त है तथा दलजी पुत्र वेलजी पाटीदार द्वारा बताया गया की मुझ दलजी पुत्र वेलजी पाटीदार एवं मेरे भाई भेमजी पुत्र वेलजी पाटीदार के कब्जाशुदा खेत को जीना पत्नी सतीश चन्द्र द्वारा खरीद लिया गया है तथा स्वतः नामांतरण संख्या 3036 एवं नामांतरण संख्या 3043 से जमाबंदी में जीना पत्नी सतीश चन्द्र पाटीदार का नाम दर्ज हो गया है जबकि वर्तमान में दलजी पुत्र वेलजी पाटीदार एवं भेमजी पुत्र वेलजी पाटीदार का ही कब्जा काश्त है जिसे फसल कटाई उपरांत कब्जा जीना पत्नि सतीश चन्द्र पाटीदार को दे दिया जाना बताया गया सेटलमेंट पूर्व सर्वे नंबर 4677 एवं 4678 के सेटलमेंट बाद तीन नए सर्वे नंबर 3795, 3795/15579, 3794 बनकर सेटलमेंट बाद के नक्शे में पूर्व से पश्चिम मेड का इन्द्राज है एवं मौके पर पूर्व सेटलमेंट के भाति उत्तर से दक्षिण मेड बनी हुई है । रिपोर्ट के साथ तुलनात्मक नकल, सेटलमेंट पूर्व का नक्शा ट्रेस, हाल नक्शा ट्रेस तथा हाल जमाबन्दी प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व दस्तावेजो तथा भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह साबित होता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि के सेटलमेंट पूर्व तथा सेटलमेंट पश्चात् के नक्शा ट्रेस में भिन्नता है। तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 01 द्वारा सहमति दी गई है। व प्रतिवादी पक्षकार संख्या 02 द्वारा भी त्रुटि होना स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार गढ़ी को निर्देशित किया जाता है कि पटवार हल्का बोरी मौजा बोरी के खसरा संख्या 3794, 3795 व 3795/15579 रकबा क्रमशः 0.09, 0.13 व 0.04 हे. भूमि की राजस्व नक्शा ट्रेस में सेटलमेंट पूर्व की स्थिति अनुसार तरमीम दुरस्त की जाए। उक्त त्रुटि को दुरस्त कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 4/3/2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 14:10:24 IST
Reason: SelfAttested

4/3/25

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा